श्री विश्वासराव रामराव पाटिल (महाराष्ट्र) उपसभापति महोदय, आज यह जो मंत्री महोदय ने प्राइसेज के बारे में बयान रखा है मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान से जिस तरीके से वह थट्टा कर रहे हैं बड़ी अटर हयूमिलिएशन कर रहे हैं वे गरीब लोग जो आवाज नहीं उठा सकते हैं इनके लिए अभी-अभी जो-जो प्राइस यहां रखे हैं या दिए गए हैं या फिक्स कर दिए गए हैं उसमें अब बाजार में जो प्राइस हैं वह तो उससे दुगने बढ़िया प्राइस बाजार में मिल सकते हैं। बात यह है कि अगर किसान की फसल एकदम बाजार में आए तो ऐसा होता है कि यह जो लोग यह जो नेफैड का कहा गया है वह कुछ खरीद नहीं पाता। लातूर में जो उससे भी कम प्राइस फिक्स कर दी थी लेकिन किसान अपना वह जो बिकने के लिए गया था बाजार में वह नैफेड नहीं ले सका, गवर्नमेंट नहीं ले सकी तो उनको तो सौ से भी कम कीमत मिल गई ऐसे ही होता रहता है और इसमें जो आयल सीड का सन् फ्लावर का कीमत बना दिया है 450 पर अभी सन-फ्लावर का कीमत 600 है। इसी तरह से यह तो किसानों और गरीबों को घाटा अपने बयान से किया है, इससे कोई भी अच्छा नहीं होगा। इससे कोई किसानों के लिए कोई अच्छा पैसा नहीं मिल सकता है।

उपसभापति : मुझे लगता है कि दो मैम्बर रह गए हैं एग्रीकल्चर की डिसकशन पर उनके पांच-पांच मिनट बोलने के बाद फिर आप इसका भी जवाब दे दीजिए।

श्री भजन लाल : सारा इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा।

उप सभापति : ठीक है, इकट्ठा ही जवाब दीजिए।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE—contd

श्री कैलाशपति मिश्र (बिहार): उपसभापति महोदया, सब से पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस समय मुझे अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है, अभी एक साल पहले

صاحبہ - اسمیں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پہلے، پار اگلے سالوں میں دس روپئے بڑھائے گئے - مگر میں اسکو دوسرے نقطئہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں اور مانیئے منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انکا کیا خیال ہے - سوال یہ ہے کہ چاول کی دھان کی قیمت انہوں نے ۱۶۰ روپئے کودی - اور اندازہ یہ ہے کہ دھان کو چاول میں کنورٹ کرنے کیلئے دو تہائی نکلتا ہے - اسکا مطلب ہے کہ ۱۶۰ روپئے انہوں نے مقرر کیا تو دو روپئے تیرہ پیسے انہیں چاول انکو ملیگا - مگر میں ابھی لدھانہ میں گیا تھا کچھ دن پہلے تو کھلے بیوپاری تین روپئے دینے کیلئے تیار آھیں - تو مانئے منتری جی نے کیا اپائے کئے ھیں - کہ جو پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم ہے - اور جسمیں چاول کی بہت بڑی ضرورت ہے - سارے ہندوستان میں جموں کشمیر - ویسٹ بنگال اور کیرل جو چاول کھانے والے پردیش ھیں - انکو اگر چاول نہیں ملے تو انہوں نے کیا اپائے کئے ہے کہ پبلک ڈسٹری بیشن سسٹم میں انکو اپنا ٹارگیٹ مل جائے جو کہ میری نظر میں دو روپئے تیرہ پیسے ہو جاتا ہے انکو تین روپئے ملتے ھیں تو وہ بیوپاریوں کو ھی بیچیں گے اور پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم میں نہیں -]

देश के 9 राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3–4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे, महोदया, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है न उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं, एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा करदी कीमतों की वृद्धि की मैं वह चार्ट बैठे-बैठे पढ़ रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की ऋषि में जूट का, पटसन का कहीं स्थान है या नहीं है। एक पैसे की वृद्धि का उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बाद देश के अन्दर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं बाढ़ ने तीन बार बर्बाद किया है। और अभी आते-आते पांचवीं बार किसानों को अप्रैल महीने के प्रारंभ में, मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार में बरबाद कर दिया, और भी कई प्रदेशों को बरबाद कर दिया।

अब अगर हम चर्चा करते हैं फसल-बीमा की, तो यह फसल-बीमा केवल चर्चा में रहती है या वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं, उन तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की चिंता सीमांत और लघु किसानों से मत करिए बल्कि केन्द्र सरकार फसल-बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य-सरकार को विवश करिए कि वे प्रीमियम के लिए आएं।

महोदया, देश का जो किसान है, 80 प्रतिशत किसान सीमांत और लघु किसान है और मात्र 20 प्रतिशत ऐसे किसान हैं, जो लघु, सीमांत से कुछ ऊपर होंगे और खेती लायक देश के अंदर जितनी जमीन है, यह इन 80 प्रतिशत सीमांत और लघु किसान के हाथ में मात्र 41–42 प्रतिशत ही खेती है अर्थात् किसानों की सबसे बड़ी आबादी आज वह किस श्रेणी में खड़ी है, उसकी कल्पना अवश्य होनी चाहिए। महोदया, थोड़ी देश की आबादी की चर्चा भी मैं बहुत जल्दी में करना चाहता हूं, आज गांव में 76.69 प्रतिशत आबादी रह रही है और इस आबादी के अंतर्गत 71.71 प्रतिशत केवल खेती के ऊपर निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है? बाढ़ ने तबाह किया, मांग शुरू हुई बीज ले आओ, बीज ले आओ, घर भी डूब गया, खेत भी डूबा गया, जो कुछ भी साथ था, सब डूब गया। अब बाढ़ग्रस्त इलाके में, बिहार में सरकार बीज लेकर चली; खेत पर बीज डाला गया और डेढ़-दो महीने के बाद पता लगता है कि फसल ही नहीं उगी। जब जांच के लिए हंगामा हुआ तो राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जा रहा है कि बीज तो दिया था, लेकिन एफ सी. आई. के गोदाम से उठाकर जो पेट भरने के लिए गेहूं था, उसको बीज बनाकर और बीज की कीमत पर, खाद्यान्न की कीमत पर नहीं, चूंकि बीज की कीमत गेहूं की कीमत से थोड़ा ज्यादा होती है, उसी कीमत पर किसानों को मुहैया कराया गया।

महोदया, अभी कई मित्रों ने इसी क्रम में उठाया कि आप प्राइस तो तय कर लेते हैं, कभी हिसाब लगाएं थोड़ा कि अगर किसान रगड़ा जाने लगता है, संकट में आकर फंसता है क्योंकि कुछ फसल तो होगी, लेकिन फसल को घर में चार महीने रोक कर नहीं रख सकता वह सीमांत किसान, लघु किसान या और किसान। सरकार जो मूल्य तय करती है। कम करे या ज्यादा करे, अभी मैं इस चक्कर में नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार का घोषित मूल्य... (**समय की घंटी**).. महोदया, एकाध, मिनिट और बोलने दीजिए, सरकार का घोषित मूल्य किसानों को कहां प्राप्त होता है, जरा इसका भी हिसाब करें।

एक बिन्दु पर आकर, भाषण देकर समाप्त करता हूं कि महोदया, सहकारी ऋण, सरकारी ऋण और ऋणों के अंदर भंयकर भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार से भारत का किसान आज मर रहा है, किसान ऋण के बोझ से दबकर बुरी तरह से परेशान है। सचमुच में अगर आप किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें और मैं कहना चाहता हूं, कि चंडीगढ़ के अंदर छत पर खड़े होकर मान्यवर देवी लाल जी किसानों के

[श्री कैलाशपति मिश्र]

ऋण की माफी की घोषणा कर सकते हैं तो दिल्ली-दरबार में बैठे हुए भजन लाल जी उससे भाग क्यों रहे हैं ? वह किसानों के ऋण की माफी की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं ? मैं इसी में जोड़ना चाहता हूं कि देवी लाल जी ने माफ कर दिया, मायवर भजन लाल इससे कतरा रहे है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने आगरा में यह घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी मजदूरों और किसानों के ऋण माफ करने के लिए तैयार हैं और वह इसके लिये देशव्यापी आंदोलन चलाएगी । ... (व्यवधान) . .

श्री कल्पनाथ राय : भारतीय जनता पार्टी का किसानों से क्या ताल्लुक है ?

उपसभापति : मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे। मिश्र जी अब आप खत्म कीजिए।

श्री कैलाशपति मिश्र : जिस दिन यह सरकार बदलेगी... (**व्यवधान**) . . देश के किसानों पर जितना ऋण लदा हुआ होगा, गरीब मजदूरों पर जितना ऋण लदा हुआ होगा, वह सारा-का-सारा माफ कर दिया जाएगा। महोदया मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देश की स्थिति का विचार कीजिए, देश की आबादी का विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं, तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान, जो देश का मालिक है, वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखायी देता है ।

उपसभापति : चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक दो मैंबर्स जोकि प्रजेंट नहीं थे, उन्होंने अनुमति मांगी तो मैंने अनुमति दे दी है। इसलिए यह ठीक रहेगा कि हम लंच आवर में ब्रेक न लें ताकि मिनिस्टर साहब भी अपना जवाब पूरा कर सकें ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Madam; it is a fact that continuous drought and floods hit the country like anything. But this explanation is not the only answer to the failure of the Government on the agricultural front. One cannot avert the impending danger simply by overlooking it. That is what is happening in our agriculture department Droughts have been hitting the country for the last ten years. Why dry irrigation research has not been developed early? Why has the Government waited so many years to start a research programme on this important subject?

About 80 per cent of our population rely on agriculture. The Government is not at all serious to improve agriculture in the country. In fact, we know that the problem of poverty and unemployment can be solved only through improved agriculture. That is why, in the Seventh Plan the targetted growth in agriculture is 4 per cent per annum. What steps have the Government taken to achieve that target?

My second point is that proper emphasis has not been given to improve the drought condition and to arrest floods and erosion. What are the steps taken by the Government to solve these problems?

I do not want to repeat about the drought conditions, but I would like to mention how floods have caused serious damage to crops in Assam. Unprecedented drought and floods in 1986-87 caused extensive damage to crops in Assam. The total loss to crops in Assam was 100 crores of rupees. But the Government neither gave proper assistance nor have they done anything to control floods and erosion. They have not given any help to utilise natural resources. In this way, you simply let the marginal and poor farmers have a natural death.

Then there is a big gap between agricultural research findings and the practice of the farmers. These findings generally never reach the farmers. It is because of three reasons, i.e. lack of motivation, poverty of the farmers and lack of education. The agricultural research is done may be with the help of foreign knowhow and in certain fields they are getting some

breakthrough. All this high technical and sophisticated agricultural research has turned to be a more schoolarly venture. Therefore I want to emphasise that research must reach the farmers at a nominal price.

My next point is about the remunerative price to the farmers. The farmers must be given remunerative prices. It is very nominal in comparison to the industrial sector. We know the plight of the cotton growers in Andhra Pradesh who committed suicide. And this unremunerative price given to the cotton growers can never ease their situation.

Madam, my next point is that it is very nice that at least the Prime Minister of India frankly admitted that the planners are misleading the Government by feeding him with wrong information. In the same process, the Department of Agriculture is also very badly tapped by its own folly. I hope that there will be no more repetition of it. With realistic planning, the Government should try to redress the grievances of the people, the agonies of the people, the agonies of the farmers that are created by 35 years of wrong planning.

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। श्री राम नरेश जी को भी इनकी सराहना करनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई में जब हम यहां बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूं काटने और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूं निकालने का है और दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के सेंटरों पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है। यह काम जाड़े का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं कि कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल-मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर बारिश से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो शुगर पालिसी बनाई है, उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है, वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गहूं की कटाई कर सकें।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि यह जो एग्रिकल्चर प्राइस कमीशन है, उसमें कई वर्षों से सुन रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधि और ए०म पीज० लिए जाएंगे। लेकिन 6 साल से यह बात उठ रही है, परन्तु कभी हुआ नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय भजनलाल जी अब नए मंत्री बने हैं, यादव जी आए हैं, तो कम से कम अब की दफे किसानों के नुमाइंदे उसमें होंगे और अधिकारियों के साथ बैठकर किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करेंगे। ऐसा आप अवश्य करवा दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करता हूं और महोदया, आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE: (Nominated): Thank you, Madam, for giving me an opportunity. Madam, I would like to congratulate the hon. Minister for increasing the minimum support price of essential commodities which would certainly benefit our farmers. Now I could like to know the basis on which this calculation has been made. I find from para 5 that in collaboration with the State Cooperative Marketing Agencies this has been done. But have these State cooperative marketing agencies consulated the gram panchayats who can speak about the farmers' problems? I would like to know the answer for this simple question.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I would like to draw the attention of this House to a very seriqus problem confornting the agricultural farmers' class as a whole. We have sufficiently heard about the progress made regarding farming, regarding seeds, regarding fertilisers, regarding, irrigation and all that. But there is a most important point which the farmers are facing throughout the country from north to south and east to west. Recently we have heard when the Budget was passed that Rs. 400 crores have been given by way of concessions to the industrialists and here the farmers are facing a crisis. Their lands are being taken under the Urban Land Ceiling Act and what is the price they are getting, a very meagre price. Rupees five per square metre, whereas the prices have gone up to the extent of Rs. 1000 Rs. 500 or even Rs. 2000 per square meter. Therefore my submission is that on the floor of the House an assurance was given by the hon. Minister, Mr. Dalbir Singh that the problem will be solved within a short time, which has given rise to blackmarketing, which has given rise to soaring of prices which has given rise to making of false documents, which has given rise to the loss of stamp duty. Therefore, I will draw the the attention of the hon. Minister for Agriculture to the fact that the farmer is not only concerned with the produce but the farmer is also concerned with so many problems and so many things, with his purchases, with tractors and also with his wealth. His wealth is land. Therefore do not snatch away his land under the pretext of urbanisation and if there is an attempt to that effect, I may inform the hon. Minister that an assurance was given on the floor of the House that the hon. Minister will apply his mind as he is concerned with the farmers' class as a while and so it should be implemented. They are ruined. For them land is the profession of their life, vocation of their life and for generations it has been so. I would submit humbly and most respectfully that the hon. Minister should apply his mind and improve the matters.

श्री भजन लाल: माननीय उपसभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा ही आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा है। बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं और जानकारी भी दी और कुछ हमारे माननीय सदस्य हैं जो विशेषज्ञ भी हैं। इस बारे में उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कहीं। बहुत से नेता यहां किसानों के नेता भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कहीं जो किसानों के हित में हैं। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश है। 75 प्रतिशत देश की आबादी गांवों में निवास करती है और चाहे कोई गांवों में निवास करे और चाहे कोई गांवों में निवास नहीं करे, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था का सही कोई मूल है, अर्थव्यवस्था का सही कोई ढांचा है तो कृषि है। सारे देश की अर्थव्यवस्था इकानमी कृषि पर निर्भर करती है। कल विकल साहब बोल रहे थे इन्होंने किसान को प्राणदाता कहा, मैं कहता हूं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। वह अकेला अन्नदाता ही नहीं है, हर सुख और सुविधा किसान के यहां से होकर ही देश के लोगों के पास में पहुंचती है। चाहे वह झोंपड़ी में बसता है, चाहे वह किसी महल में बसता है, चाहे छोटा हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। आप जानते है कि इस आधुनिक भारत की आधारशिला पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने रखी थी। जब पंडित नेहरू ने इस आधुनिक भारत की आधारशिला रखी थी सबसे पहले इस बात का प्रण किया था कि जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा मुल्क आगे तरक्की नहीं कर पायेगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पायेगा। इसी बात को लेकर अनेक योजनाएं किसानों के हित में बनी। आप देखते हैं कि भाखड़ा बांध जैसे अनेक बांध इस मुल्क में बने। बड़े-बड़े ताप बिजली घर नहीं बनते, बड़े-बड़े खाद

के कारखाने, ट्रेक्टरों के कारखाने नहीं लगते, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं बनती, रिसर्च नहीं होता तो क्या मुल्क अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता था। आप जानते हैं कि जब मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त अनाज की इस मुल्क में क्या हालत थी। हमारे उन देश के बहादुर नेता जो अपना सिर कटवाना तो अच्छा समझते थे लेकिन सिर झुकाना अपनी तौहीन समझते थे। ऐसे बहादुर नेताओं को अनाज के लिए झोली फैलानी पड़ती थी। जब झोली फैलानी पड़ती थी तो उनका सिर लज्जा से नीचे हो जाता था। हमारे देश के बहादुर नेताओं को ऐसे मुल्कों के पास जाना पड़ता था अनाज के लिए ताकि देश में कोई आदमी भूखा न सोये। कोई भूख से न मर जाये। 40 साल के इतिहास में इस देश के बहादुर नेताओं ने किसी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया। आप जानते है 1943 में लाखों की संख्या में भूख से लोग मर गये थे, बंगाल में और दूसरे राज्यों में। पंडित जी ने योजनाएं बनायी और योजनाएं बना करके उत्पादन बढ़ाया। आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय मुल्क से सारा उत्पादन साढ़े पांच करोड़ टन था आज सवा पन्द्रह करोड़ टन तक पहुंचा हैं। उस समय सिंचाई कितनी होती थी मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ अढ़ाई करोड़ हैक्टेयर में सिंचाई होती थी आज साढ़े पांच करोड़ हैक्टेयर एकड़ में सिंचाई होती है। सारे मुल्क में दो लाख से ज्यादा ट्यूबवैल नहीं थे जबकि आज करोड़ों की संख्या में ट्यूबवैल है। मैं आंकड़ों से बताना चाहता हूं। आप देखेंगे कि हमारी जनसंख्या इस समय लगभग 78 करोड़ हैं और लगातार बढ़ रही है। अनुमान है शताब्दी के अंत तक यह एक अरब हो जायेगी। दूसरी ओर काश्त की भूमि उपलब्ध नहीं है यानी लगातार घट रही है। 1950 में .33 हेक्टयर प्रति व्यक्ति थी आज 80 में घटकर 0.20 हैक्टेयर प्रति व्यक्ति रह गयी। अनुमान है सन् 2000 तक 0.15 हेक्टेयर प्रतिव्यक्ति रह जायेगी यानी .15 एक आदमी के हिस्से में आयेगी। आप जानते है कि विश्व की लगभग 15 परसेंट आबादी अकेली भारत में निवास करती है जबकि हमारे देश के पास कृषि योग्य भूमि विश्व की केवल अढाई परसेंट है। बहुत सा रकबा बाढ़ और सूखा तथा अनेक समस्याओं से प्रभावित है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उपलब्ध साधनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके पैदावार बढ़ाने के लिए, अपने ग्रामीण भाइयों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए।

केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृषि हमारे संविधान में राज्यों की सूची, स्टट्स लिस्ट में सम्मिलित है। अतः प्रारम्भिक रूप से इस बारे में जिम्मदारी राज्य सरकारों की है। अलबत्ता कृषि के क्षेत्र का एक पहलू समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय व केन्द्र संचालित (सेन्ट्रल व सैन्ट्रली स्पान्सर्ड) योजनाओं द्वारा इस बारे में राज्य सरकारों की सहायता की जाती है।

उपसभापति महोदया, जैसा आप जानते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारी सारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण और कर्ज के नीचे दबी हुई थी। आजादी से पहले देश में अनेकों भयंकर अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग भूखमरी के शिकार हुए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सन् 1837, 1860 और 1866 व उसके बाद के अनेक भीषण अकालों में हजारों - लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थीं। परन्तु आज के हालात बिल्कुल भिन्न हैं। आजादी के बाद आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश के योजनाबद्ध विकास की नींव डाली, जिसमें कृषि, सिंचाई, बिजली, वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि सुधार, ऋण,

[श्री भजन लाल]

मार्केटिंग इत्यादि के लिये दूरगामी कदम उठाये गये और देश के दीर्घकालिक विकास की बुनियाद की नींव डाली गई। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनायें, सारे देश में कृषि अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों का जाल, जमींदारी उन्मूलन, सामुदायिक विकास इत्यादि इस नीति के स्तम्भ थे। पण्डित जी कहा करते थे कि हर चीज इन्तजार कर सकती हैं परन्तु कृषि नहीं।

इसी नीति को हमारी युगसृष्टा नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। इन्दिरा जी कृषि को "आदि मन्त्र" कहा करती थीं। हमें आज भी वह दिन याद है, जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी के समय उन्होंने यह प्रण लिया था कि हमें हर सूरत में अनाज के मामले में आत्म-निर्भर बनना हैं और इसी में हमारा आत्म-सम्मान निहित है। उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा का ही परिणाम है कि आज हम इस हालत में पहुंच पाये हैं कि बढ़ती हुई आबादी के बावजूद हम दुनियां में गर्व से सिर उठा कर कह सकते हैं कि भारत खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि जरूरत पड़ने पर औरों की भी मदद कर सकते हैं। आज उसी नीति को हमारे प्रधान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने एक नया बल, नई प्राथमिकता व नई दिशा दी है, जब हम कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

जसा कि आप सब जानते हैं कि कि सन् 1900 से 1950 तक कृषि विकास की दर केवल 0.3 प्रतिशत थी। आजादी के बाद यह विकास की दर लगभग 2.65 प्रतिशत हो गई और 1977 के बाद यह दर और तेजी से बढ़ी और लगभग 3.5 प्रतिशत हो गई। आजादी के समय देश में लगभग 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था, जबकि आज लगभग 15 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। तब अनाज की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 553 कि०ग्राम थी जो अब 1175 कि०ग्राम प्रति हैक्टयर है। तब गेहूं लगभग 60 लाख टन पैदा होता था, जबकि अब लगभग साढ़े चार करोड़ टन अर्थात् 7 गुना से भी ज्यादा पैदा होता है। उस समय गेहूं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 65.7 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, जो अब 147.1 प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। चावल तब लगभग 2 करोड़ टन पैदा होता था और अब 6 करोड़ टन – अर्थात् 3 गुना पैदा होता है। उस समय चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 158.9 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, जो अब 218.9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। गन्ना तब लगभग साढ़े पांच करोड़ टन पैदा होता था, जबकि आज लगभग 18 करोड़ टन होता है--अर्थात् लगभग तीन गुना। कपास तब 30 लाख गांठें होती थीं, जबकि अब 80 लाख से ज्यादा गांठें होती है। पटसन और मेस्ता तब 31 लाख गांठें होता था, जबकि आज लगभग 85 लाख गांठें होता है। दालें उस समय लगभग 80 लाख टन होती थीं, जबकि अब लगभग सवा करोड़ टन होती हैं। तिलहन उस समय लगभग 50 लाख टन होता था, जबकि अब लगभग सवा करोड़ टन होता है। आलू का उत्पाद उस समय 15 लाख टन होता था, जो बढ़कर 1 करोड़ 27 लाख टन हो गया है। उस समय आल की उत्पादकता 6.6 टन प्रति हैक्टेयर थी, जो अब 15 टन प्रति हैक्टेयर से भी ज्यादा है। 1951 में दूध का उत्पादन लगभग पौने दो करोड़ टन था, जो अब चार करोड़ साठ लाख टन से भी ज्यादा है।

अण्डों का उत्पादन 1950–51 में लगभग 1.8 अरब था, जो अब लगभग साढ़े चौदह अरब है--लगभग 8 गुना हो गया है। देश में उस समय कुल काश्त रकबा (ग्रास क्राप्ड एरिया) 13 करोड़ हैक्टेयर था, जबकि अब

लगभग साढ़े 17 हैक्टेयर है। देश में कुल संचित रकबा उस समय सवा दो करोड़ हैक्टेयर था, जबकि अब लगभग साढ़े पांच करोड़ हैक्टेयर है। सिंचाई में यह वृद्धि मुख्यतः नहरों के विकास और ट्यूबवैलों के निर्माण के कारण हुई।

आजादी के समय में देश में कुल बिजली 6 अरब 57 करोड़ यूनिट बनती थी, जबकि अब 202 अरब यूनिट पैदा होती है, यानि तीस गुने से भी ज्यादा दे रहे हैं। 1950 में देश में बिजली का केवल 3.9 प्रतिशत भाग कृषि को जाता था, जबकि 1984-85 में यह बढ़कर 20.2 प्रतिशत हो गया है। 1950 से 1985 के दौरान देश में बिजली की कुल बिक्री 27 गुना बढ़ी, जबकि अब इस वृद्धि में कृषि क्षेत्र में बिजली की बिक्री 128 गुना बढ़ गयी है। कृषि क्षेत्र में बिजली की इतनी खपत बढ़ने और बिजली की पैदावार और वितरण करने की बढ़ती हुई कीमत के बावजूद कृषि के लिये बिजली की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गयी। 1975 में कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की औसत दर 20.30 पैसा प्रति यूनिट थी, जो 1986-87 में घट कर 19.82 पैसा प्रति यूनिट हो गयी अर्थात् इसमें 2 प्रतिशत की घटोत्तरी हुई। दूसरी ओर इस अवधि में बिजली पैदा करने की लागत बढ़कर 22 पैसा प्रति यूनिट से 69.45 पैसा प्रति यूनिट हो गयी--अर्थात् इसमें 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1950-51 में रसायनिक नाइट्रोजन खाद की वार्षिक निर्माण क्षमता देश में केवल 17 हजार टन थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 लाख टन हो गयी है .....(**व्यवधान**) ...। अभी बताऊंगा। इस पर मैं अभी आता हूं। मैं अभी आंकड़े बता रहा हूं।

उस समय देश में केवल 10 हजार टन नाइट्रोजन खाद बनती थी, जो अब लगभग 55 लाख टन बनती है। उस समय खाद की कुल वार्षिक खपत लगभग 66 हजार टन थी, जो अब बढ़कर लगभग 90 लाख टन हो गयी है, अर्थात् 136 गुना वृद्धि इसमें हुई हैं। आजादी के समय देश में कुल 8000 ट्रैक्टर थे जबकि आज यह संख्या 7 लाख से भी ज्यादा है। उस समय देश में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं था, जबकि आज 26 कृषि विश्वविद्यालय है। उस समय देश में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं था, जबकि आज 89 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं।

इन सारी बातों का फल है कि विश्व में खाद्य उत्पादन में इस समय भारत का नम्बर चावल में दूसरा (चीन के बाद), गेहूं में चौथा (रूस, चीन और अमरीका के बाद), बाजरा दालों में पहला, ज्वार में दूसरा (अमरीका के बाद), मूंगफली में दूसरा (चीन के बाद), गन्ने में दूसरा (ब्राजील के बाद), सब्जियों में दूसरा (चीन के बाद), फलों में दूसरा (ब्राजील के बाद), कपास में चौथा (रूस, अमरीका और चीन के बाद), अंडों में छठा (रूस, चीन, अमरीका, जापान और फ्रांस के बाद) आता है। हमें अपने किसानों की मेहनत व वैज्ञानिकों की सूझ-बूझ के आधार पर पूरा विश्वास है कि हम इस तालिका में भारत का स्थान और ऊपर ले जायेंगे।

उपसभापति महोदया, जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि पहले की अपेक्षा सिंचाई के नीचे भूमि अब ढाई गुना हो गई है, परन्तु अभी भी हमारी 70 प्रतिशत भूमि बारानी है। तथापि, आप मुझे से सहमत होंगे कि पिछले दो दशकों में कृषि विकास के साथ, हमारे कृषि उत्पादन में, अब काफी हद तक सूखे और बाढ़ के थपेड़े सहने की क्षमता आ गयी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष देश के अधिकांश भागों में ऐसा भयंकर सूखा पड़ा, जैसा कि शताब्दी में पहले कभी नहीं पड़ा था। यह केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि वर्षा के आंकड़े इस बात के सबूत हैं। पिछले सूखे के वर्षों व वर्ष 1987 के वर्षा के आंकड़ों की तुलना इसे

[श्री भजन लाल]

स्पष्ट कर देती है कि वर्ष 1987 का सूखा किस प्रकार का था। देश में कुल 35 मिटियोरोलाजिकल सब-डिविजन है। 1987 में उनमें से 21 में सामान्य से कम वर्षा हुई। ऐसे सब-डिवीजन जिनमें इसी प्रकार सामान्य से कम वर्षा रिकार्ड की गयी, वर्ष 1986 में 14, 982 में 12, 1979 में 16, 1974 में 17, 1972 में 20 व 1965 में 19 थे। इसी प्रकार की स्थिति अन्य आंकड़ों से भी स्पष्ट होती है। इस बात का सम्पूर्ण श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को जाता है कि उन्होंने इस चुनौती का डटकर मुकाबला किया। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि ऐसे अभूतपूर्व विपत्तिकाल में पूरे देश में एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुई। इस कड़ी चोट के बावजूद देश का खाद्यान्न उत्पादन 7 से 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं गिरेगा, बल्कि हमें आशा है कि वास्तविक गिरावट शायद इतनी भी नहीं होगा। आज हमारे कृषि उत्पादन में जान और दम है।

1987-88 में सूखा राहत के लिये 1442 करोड़ 28 लाख रुपये दिये गये जबकि 1984-85 में यह सहायता 174 करोड़ 43 लाख, 1985-86 में 467 करोड़ 81 लाख रुपये 1986-87 में 609 करोड़ 34 लाख रुपये थी। इसके अलावा इस वर्ष सूखा राहत के मामले में कुछ विशेष कदम भी उठाये गये। इस साल 8 करोड़ रुपये चारे के उत्पादन के लिये, 118 करोड़ रूपये सिंचाई की उन योजनाओं को मुकम्मल करने के लिये जो पूरा होने के लगभग निकट थी, 26 करोड़ रुपये पीने के पानी की योजना के लिये और लगभग एक करोड़ रुपये सब्जी उगाने के लिये दिये गये। इसके अलावा हमारे प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सूखा-उपसमिति स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुझे खुशी है। कि केन्द्र व राज्य सरकारों के मिले जुले प्रयत्नों से हम इस स्थिति से उभर आये हैं। आज प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में यह सरकार कृषि व ग्रामीण विकास को सबसे अधिक महत्व और प्राथमिकता दे रही है। प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार देश को स्थानीय परिस्थितियों व विशेषताओं के अनुरूप 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया गया है। इन जोन्स को आगे बारीकी से स्थानीय एग्रो-क्लाइमैटिक विशिष्टताओं के आधार पर 127 उप-जोनों में बांटा गया है। हमारी कृषि योजनायें, अनुसंधान और इन्हीं 15 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बनाई जा रही है। आई०आर०सी०ए० और कृषि विश्वविद्यालय तदनरुप पृष्ठभूमि में नई उचित टैक्नालोजी द्वारा सहायता दे रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि प्लानिंग का काम जिला स्तर पर किया जाये और सरकार इस बारे में तेजी से कदम उठा रही है। उपरोक्त प्रणाली से कृषि योजना को एक नया वैज्ञानिक आधार प्राप्त होगा। पिछले तीन सालों से चले आ रहे सूखे के कारण जो पिछले वर्ष सब से गंभीर था, कृषि उत्पादन को धक्का पहुंचा। उसे ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के मिडटर्म रिव्यू के समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चलाया जाये। फलस्वरूप देश के 14 चुनिन्दा राज्यों में 169 जिले छांटे गये, जिनमें 5 मुख्य फसलों चावल, गेहूं, मक्का, अरहर और चने का उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। इनके अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों के लिये 6 लाख नये कुएं और ट्यूबवैल लगाये जायेंगे। इन पर 88 करोड़ 92 लाख रुपये की सबसिडी दी जायेगी इसके अलावा एन० आर० ई०पी० व आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के छोटे व सीमान्त किसानों के लिये

आगामी दो वर्षों में 10 लाख नये कुंए मुफ्त दिये जायेंगे, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। इनके अलावा खाद की खपत 20 किलो प्रति हैक्टेयर बढ़ाई जायेगी, नये बीजों के उत्पादन व प्रयोग पर जोर दिया जायेगा। कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाओं का अधिक प्रयोग किया जायेगा, कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। और बढ़ी हुई पैदावार की बिक्री का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत 1988-89 में 16.6 करोड़ टन अनाज पैदा किया जायेगा और 1989-90 तक 17.5 करोड़ टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य हर हालत में प्राप्त किया जायेगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाये गये हैं और सरकार इस बारे में कटिबद्ध है। पिछले महीने ही 18 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की थी।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए।]

उसके बाद एक बैठक अधिकारी स्तर पर हो चुकी है। मैं स्वयं 18-19 अप्रैल को इन 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बैठकें कर चुका हूं जिसमें मेरे साथी योजना मंत्री, सिंचाई मंत्री व बिजली मंत्री ने भी भाग लिया। हमने सभी राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वे इस बारे में इस राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने में एकजुट हो जाएं।

सरकार द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता का एक विशेष द्योतक इस वर्ष का बजट है। मैं प्रधानमंत्री जी व वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कृषि व सिंचाई क्षेत्र के लिए इस वर्ष का प्रावधान 40 प्रतिशत बढ़ा दिया, यूरिया खाद की कीमत साढ़े सात प्रतिशत कम की, कृषि के लिए कर्ज पर सूद की दर कम कर दी, कृषि क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा तीन हजार करोड़ रुपये और अधिक उपलब्ध कराने का प्रबंध किया, कीटनाशक दवाओं का आयात शुल्क कम किया और इनका आयात सरल कर दिया। सहकारिता ऋण के ओवरड्यूज के मामलों में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चरल क्रैडिट स्टेबिलाइजेशन फंड की स्थापना की घोषणा भी की गई। हमें आशा है कि इन सब कदमों के कारण कृषि उत्पादन को एक नई दिशा मिलेगी। इस समय हमारे किसान भाइयों को खाद, कीटनाशक दवाओं, कृषि के ऋण इत्यादि सुविधाओं के लिए अलग-अलग एजेंसियों के पास जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सारे देश में इस प्रकार की प्रणाली विकसित की जाए कि हमारे किसानों को इन सब बातों के लिए जगह जगह न भागना पड़े और उन्हें एक प्रकार की सिंगल विंडो सर्विस की सुविधा उपलब्ध हो। इस संबंध में कुछ प्रयोग किये गये हैं परन्तु वह कुछ ठीक नहीं थे। यह बात राजनीतिक नहीं है बल्कि किसानों को वास्तविक सुविधा देने की है। ताकि उसे कम से कम परेशानी हो और वह ज्यादा समय वह ध्यान खेती की तरफ लगा सके हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इस संबंध में कुछ पायलेट प्रोजेक्ट्स चालू करें। ताकि स्थानीय प्रणाली के अनुरूप इस प्रकार की वास्तविक सुविधा विकसित की जा सके। हमारे किसानों को फसल के बाद अपना अनाज और पैदावार तुरंत मंडी में लाकर बेचना पड़ता है। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसी प्रणाली विकसित की जाये किसानों को यह सुविधा मिले कि वे अपने घर पर या अपने गोदामों में, पैदावार को रखकर वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सके और ये वित्तीय संस्थाएं इस गोदाम पर अपना ताला लगाकर, इस धरोहर के बदले पैदावार की कीमत का कुछ प्रतिशत किसानों को अग्रिम ऋण के रूप में दे सके। इसके फलस्वरूप

[श्री भजन लाल]

किसान बाद में अपनी पैदावार को अच्छे भाव के समय मंडी में बेच सकता है । इससे उसकी पैदावार की कीमत के बाजार में उतार चढ़ाव से उसे कुछ राहत मिलेगी। हम कोशिश करेंगे इस बारे में भी कुछ पायलेट प्रोजेक्ट्स चालू किए जाएं और अगले सीजन में ही कुछ चालू करने पर गहराई से विचार कर रहे हैं ।

सरकार का कृषि उत्पादन के मूल्य रखने का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है जिससे उन्हें अधिक पैदावार और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इसके साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी की जा सके । सरकार ने हाल ही में कृषि लागत व मूल्य आयोग को और अधिक सुदृढ़ किया है । यह आयोग कृषि क्षेत्र के सम्पूर्ण ढांचे का अवलोकन करता है और इस क्षेत्र से संबंधित व्यापार शर्तों को भी ध्यान में रखता है । खेती उत्पादन की लागत का हिसाब लगाने में सभी प्रकार के खर्च शामिल किये जाते हैं और किसान को उचित लाभ देने का भी ध्यान रखा जाता है ।

दूसरा पैदावार में हुई वृद्धि ध्यान रखने योग्य है । यह समर्थन मूल्य केवल इस सहारे के लिए ही थे कि कीमत इस स्तर से नीचे नहीं गिरने ही जायेगी । यदि बाजार में कीमत उससे ज्यादा रहे तो किसान अपना माल बाजार में बेचने के लिए हमेशा स्वतंत्र है । इसके अलावा कई मामलों में नेफेड और दूसरी सहकारी संस्थाओं द्वारा कई प्रकार की पैदावार को बाजार में खरीद कर मूल्य स्थिर रखने की कोशिश भी की जाती है और ऐसे मामलों में इन संस्थाओं द्वारा उठायी जाने वाली हानि को सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

किसान को और सहारा देने के लिए इसी सरकार के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के निर्देश पर एक फसल बीमा योजना भी चलायी गयी थी । इस योजना के अंतर्गत जो काफी बड़ी लागत में चलायी जा रही है, देश के हजारों लाखों किसानों को लाभ पहुंचता है । हम चाहते हैं कि इस योजना को और बेहतर बनाया जाये और इसके चलाने में जो त्रुटियां और लूपहोल सामने आये हैं उनको बंद किया जाये । कुछ राज्य और क्षेत्रों में इस योजना का दुरुपयोग भी किया गया है और सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करेगी । पिछले कुछ दिनों में कहीं कहीं पर यह चर्चा भी थी कि सरकार शायद फसल बीमा योजना बंद करने जा रही है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना बंद करने का सवाल पैदा नहीं हो सकता । फसल बीमा योजना को हम व्यापक बनाने जा रहे हैं ताकि आम किसान को इससे कैसे फायदा पहुंच सके । आप जानते हैं कि आज की जो नीति है उस नीति को मैं बहुत उचित नहीं समझता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हरियाणा में मैं मूल्य मंत्री था तो मैंने, पंजाब और राजस्थान ने इस बात को माना भी नहीं था । इधर से यह आदेश गये थे, यह सुझाव गया था भारत सरकार की तरफ से, बूटा सिंह जी की तरफ से, उस समय बूटा सिंह जी कृषि मंत्री थे कि एक जिले को एक यूनिट माना जायेगा और सारे जिले में 80 परसेंट फसल खराब हो तब किसान को उसका मुआवजा मिलेगा, मैंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते । यह बात उचित नहीं है कि सारे जिले में इतना नुकसान नहीं हो तो उसके बिना किसान को फसल का बीमा नहीं मिलेगा । इसलिए इसको गांवों का यूनिट माना जाये । उसको उन्होंने माना नहीं । . . . (**व्यवधान**) मैं इतनी ही बात कह सकता हूं कि अब तहसील यूनिट है, ब्लाक यूनिट है, मंडल यूनिट है । अब भी इससे पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है और वह भी किसको कवर करते हैं जो सिर्फ बैंक से लोन लेते हैं उनको कवर करते हैं । प्रीमियम बैंक वाले ले लेते हैं । नुक्सान हो जाये तो बैंक अपना पैसा पूरा कर लेती है । यह बात मुनासिब नहीं है । हमारी यह कोशिश है और प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बना दी है और इस कमेटी की इसी महीने की 11 तारीख को मीटिंग होगी इसमें मैं, श्री पी० वी० नरसिंह राव जी और वित्त मंत्री जी, तीन मंत्री है तथा सेक्रेट्री साहिबान है । हम सब बैठकर तह में जायेंगे कि किस तरह से हम गांवो का या पटवार

स्तर का यूनिट बनायें । पटवार स्तर आप जानते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि कोई छोटे एक या दो गांव पटवार यूनिट में हो सकते हैं । पटवारी के पास उनका रिकार्ड होता है । पटवार यूनिट बन जाये और सब किसानों को उससे लाभ मिले । चाहे कोई बीमा किसी ने ऋण लिया है या नही लिया है प्रीमियम हम सब से ले लें और उसका फायदा सब को मिले, हम ऐसी योजना बनाने का विचार कर रहे हैं इसमें अब कहां तक सफल होंगे यह तो आगे आपको बतायेंगे । बड़ी जल्दी इस पर कार्यवाही करेंगे ।

दूध के उत्पादन के बारे में बहुत प्रभा व शाली काम हुआ है । बाकी सदस्यों ने जो बातें कही हैं उन सभी सदस्यों की बातों का जवाब भी मैं दूंगा । मेरे पास एक–एक सदस्य के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको भूख लग रही हो तो भी मेहरबानी करके आप 15 मिनट या आधे घंटे के बाद जाइयेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : ठीक है, आप बोलिए । यह बहुत अहम विषय है ।

श्री भजन लाल : देश में दुग्ध उत्पादन के बारे में भी प्रभावशाली काम हुआ है बहुत से माननीय सदस्य बैठे हुए हैं जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है उनके बारे में भी हम आपसे कहेंगे, जिसकी सराहना सारे विश्व में की जाती है । 1970 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम चालू किया गया था जिसके अन्तर्गत डेयरी सहकारिता क्षेत्र में दूध उत्पादन, दूध एकत्रीकरण, मार्केटिंग इत्यादि की समन्वित सुविधाएं जुटायी गई । आजकल इस योजना का तीसरा चरण, आपरेशन फ्लड–III चालू है जो 1994 में पूरा होगा । इस योजना की कुल लागत 915 करोड़ रुपए है जिसमें से विश्व बैंक 486 करोड़ रुपए की सहायता देगा । इसके अतिरिक्त 220 करोड़ रुपए की ई०ई०सी० सहायता के एग्रीमेंट पर भी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं । देश में पशु पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ हैं । पशु पालन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूध, अंडों, ऊन के उत्पादनों में वृद्धि करना है । आजादी के बाद दूध का उत्पादन लगभग ढाई गुना, अंडों का उत्पादन लगभग 100 गुना और ऊन का उत्पादन लगभग डेढ़ गुना हो गया है । इसके अतिरिक्त फसलों के सुधार पशुओं की बीमारियों की रोकथाम इत्यादि, के लिए विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाये जा रहे है । देश में एम्ब्रियो ट्रांसफर की टैक्नोलोजी का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है । पशु पालन क्षेत्र में हम जल्दी ही एक टैक्नोलोजी मिशन स्थापना करने पर विचार कर रहे है ।

मछली पालन के क्षेत्र में विशेष उप-लब्धि हुई है । आजादी के समय देश में मछली उत्पादन लगभग नगण्य था । इस समय यह उत्पादन बढ़कर लगभग 30 लाख टन से भी अधिक हो गया है जिसमें 10 लाख टन से अधिक अन्तर्देशीय और 20 लाख टन से अधिक समुद्री मछली शामिल है । देश में 200 एफ० एफ० डी० ए० काम कर रही हैं । सरकार 71 लाख मछुआरों की भलाई और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है । इस समय देश से मछली व मछली उत्पादनों का निर्यात 460 करोड़ रुपए से भी अधिक है । यह कहना गलत नहीं होगा कि हम हरित-क्रान्ति और श्वेत-क्रान्ति के बाद अब "नीली-क्रान्ति" की ओर अग्रसर हैं । ग्रामीण विकास योजना के बारे में भी मैं आपसे बताना चाहूंगा सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं जैसे आई० आर० डी० पी० , एन० आर० इ० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, डी० डी० पी०, डी० पी० ए० पी०, इत्यादि । इसलिए सरकार की यह चेष्टा रही है कि इन कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा तेजी से चलाया जाए । मुझे यह बताते हुए खुशी है कि एन० आर० ई० पी० और आर एल ई जी० पी के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2,994 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन योजना के पहले तीन वर्षों में ही 3578 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके है जो कि पूरी योजना के प्रावधान का 120 परसेंट बनता है । 1988–89 के लिए भी इन दोनों योजनाओं के लिए 1259.43 करोड़ रुपये रखे गये हैं । इस प्रकार योजन

[श्री भजन लाल]

के पहले चार वर्षों में कुल खर्च 4837 करोड़ रुपये बन जाता है जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे प्रावधान का 162 प्रतिशत बनता है । सातवीं पंच-वर्षीय योजना की पूरी अवधि में लगभग 246 करोड़ मानस दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था गरीब लोगों को रोजगार देने का और इस प्रकार योजना के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ मानस दिवस का सृजन होना था इसके मुकाबले में 1986–87 में लगभग 70 करोड़ मानस दिवस रोजगार का सृजन हुआ । अभी राज्यों से वर्ष 1987–88 का पूरा ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है । लेकिन हमें आशा है कि इस वर्ष में भी लगभग उतने ही मानस दिवस रोजगार प्राप्त होंगे ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने 1988–89 का बजट प्रस्तुत करते समय अनुसूचित जाति और जनजातियों के उस छोटे तथा सीमान्त किसानों के लाभ के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, 10 लाख कुओं की एक योजना की घोषणा की थी । ये कुएं उन्हें मुफ्त लगाए जाएंगे । ग्रामीण विकास विभाग ने राज्यों की सहमति से राज्य वार लक्ष्यों को निश्चित कर दिया है । स्कीम के लिए वर्ष 1988–89 में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है । मेरा राज्य सरकारों से आह्वान है कि वह स्कीम को तेजी से कार्यान्वित करें ताकि गरीबों का उत्थान तथा कृषि-उपज बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । हम यह भी कोशिश करेंगे कि यथासंभव इन कुओं पर सिंचाई के साधन लगाने में इन किसानों की सहायता की जाय ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पिछले सात वर्षों से चलाया जा रहा है और इसकी प्रगति सराहनीय है । अब तक 2 करोड़ 87 लाख परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है । इसमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख परि-वारों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ही लाभान्वित किया गया है । लाभार्थियों में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम हेतु 1186 करोड़ 79 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था । वर्ष 1988–89 में आवंटित राशि शामिल करने पर योजना के प्रथम चार वर्षों में होने वाला अनुमानित खर्च लगभग 1175 करोड़ रुपए बनता है । जब से इस योजना का सूत्रपात हुआ है, तब से अब तक लाभार्थियों को 9239 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति दी जा चुकी है । इसमें से 5800 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा दिया गया ऋण है और शेष लगभग 3,360 करोड़ रुपए अनुदान की शक्ल में है । गरीब लोगों को लोन दिलाना कोई आसान काम नहीं है, यह बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है ।

पीने के पानी के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने बहुत विशाल कार्यक्रम चलाया है । इस विषय में टेक्नोलोजी मिशन के द्वारा काम में विशेष प्रगति लाई गई है । सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1,276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था । 1988–89 में आवंटित राशि को यदि शामिल कर लिया जाए तो योजना के प्रथम चार वर्षों में ही अनु-मानित खर्च, 1,358 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि पूरी योजना के प्रावधान से ज्यादा है । देश में 5 लाख 76 हजार गांव हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में लगभग 1 लाख 62 हजार गांव समस्या-ग्रस्त थे । योजना के पहले तीन वर्षों में लग-भग एक लाख गांवों को पूरी तरह से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, शेष 62 हजार गांवों की भी समस्या का निदान अगले दो वर्षों में कर दिया जाने की पूरी कोशिश जारी है । भारत सरकार को पूरा विश्वास है कि अगले दो वर्षों में 3—4 हजार कठिन क्षेत्रों में स्थित गांवों को छोड़-कर इस देश का कोई भी गांव बिना पीने के पानी के नहीं रहेगा ।

हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम नई टेक्नोलोजी का इस प्रकार प्रयोग करें कि हम प्राकृतिक संसाधनों को क्षति न पहुंचाएं और पर्यावरण का भी ध्यान रखें । हमें किसान के लिए ऐसी तकनीक की खोज करनी है, जिससे उसकी लागत में कमी हो और उपज में बढ़ोतरी । इसके साथ ही हमें

किसान को यह तकनीक आसानी से पहुंचाने पर भी विचार करना है । किसान की आय बढ़ाने के दूसरे साधनों, जैसे-डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि को भी बेहतर बनाना है । कुल मिलाकर हमें एक समन्वित फार्म एपरोच विकसित करनी है, जिससे किसान की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके । इसके साथ ही अनुसंधान द्वारा ऐसे बीज और वेरायटी तैयार करनी है, जिन पर मौसम और बीमारी का कम से कम प्रभाव हो और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे सकें ।

तिलहन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि तिलहन की पैदावार बढ़ान के बारे में प्रधान मंत्री जी ने जो टेकनोलोजी-मिशन चालू किया है, उसमें आशातीत सफलता मिली है । यद्यपि पिछले वर्ष देश में अभूत-पूर्व सूखा पड़ा, फिर भी तिलहन की पैदा-वार के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं । बागवानी, मिट्टी के परीक्षण, पशुपालन मछली पालन इत्यादि क्षेत्रों में भी काफी महत्व-पूर्ण काम हुआ है ।

हम इस वर्ष विशेष रूप से 'ड्राइ लेण्ड फार्मिंग" के बारे में और तेजी से काम करना चाहते हैं ताकि बारानी क्षेत्रों व सूखे से प्रभावित इलाकों में खेती की पैदावार को बढ़ाने में साइंस और टेक्नोलोजी का पूरा लाभ उठाया जा सके । हम यह भी चाहते हैं कि एक-एक बूंद पानी के सही उपयोग के बारे में विकसित टेक्नोलोजी का पूरा उपयोग किया जाय । इसी प्रकार हम यह चाहते हैं कि खाद का सही उपयोग हो, जो कि मिट्टी की जरूरत के अनुरूप हो । महोदय, आजादी के बाद उर्वरक में पहले से ज्यादा आत्म-निर्भरता प्राप्त की है । पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में उर्वरक की 50 प्रतिशत मांग आयात से पूरी की गयी थी, छठी पंचवर्षीय योजना में आयात पर निर्भरता कम होकर 25-30 परसेंट रह गयी थी । इसकी तुलना में 86-87 और 87-88 में नाइट्रोजिनस उर्वरक यूरिया की 95 प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी कारखानों से पूरी की जाती है । महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि उर्वरक उद्योग में एडमिनिस्टर्ड मूल्यों की प्रणाली लागू है । यद्यपि देश में उर्वरक की उत्पादन लागत 3241 रुपए प्रतिटन, है किसानों को यह खाद 2350 रुपए प्रतिटन की लागत पर उपलब्ध करायी जाती रही है और बाकी की कीमत काबोझ सरकार खुद वहन करती है । जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस बजट के बाद यह कीमत साढ़े सात प्रतिशत और कम कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप यूरिया की खाद का कट्टा 8 रुपए 80 पैसे प्रति कट्टा सस्ता हो गया है । इसी प्रकार डी०ए०पी० खाद की देश में उत्पादन लागत 4166 रुपए आती है जबकि यह किसानों को 3600 रुपए प्रतिटन के हिसाब से दी जाती है । इस सारी छूट के फलस्वरूप सरकार को तीन हजार करोड़ रुपए की सबसिडी देनी पड़ती है । यह सबसिडी किसानों के लिए ही है । चूंकि 9 करोड़ किसान परिबारों को अलग-अलग सबसिडी देना कठिन है इसलिए एडमिनिस्टर्ड मूल्य प्रणाली के अनुसार यह सबसिडी उत्पादन की स्टेज पर दी जाती है ।

महोदय, सरकार का यह हर संभव प्रयत्न है कि देश के सभी दूर-दराज के इलाकों में, हर गांव में जिसमें कम खपतवाले क्षेत्र भी शामिल हैं, उर्वरक आसानी से समान कीमत पर उपलब्ध हों । इसके लिए सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट सबसिडी भी दी जाती है । सरकार की यह हर संभव कोशिश है कि असंगत और आड़े-तिरछे मूवमेंट को कम-से-कम किया जाय ताकि यह सबसिडी कम-से-कम हो ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कल कुछ माननीय सदस्यों ने कृषि मूल्य आयोग के बारे में चर्चा की थी। इस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के सात सदस्य बनाए गए हैं । इसके चेयरमैन हैं—श्री एस०एस० जोहर जोकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे । वे अर्थशास्त्री हैं । दूसरे सदस्य सचिव हैं, डा० डी० एस० त्यागी जोकि अर्थशास्त्री हैं और उत्तर प्रदेश के हैं । डा० एल०एस०वेंकटरमण कर्नाटक के अर्थशास्त्री हैं । डा० आर०के०पटेल, गुजरात के अर्थशास्त्री हैं । श्री जी० नागश्वर राव जो श्री एन०जी० रंगा के भाई के लड़के हैं, आंध्रप्रदेश से हैं और पूरे किसान हैं । श्री आर०टी० रिंबाई, जोकि मेघालय के किसान हैं और चौधरी रणधीर

[श्री भजन लाल]

सिंह जोकि हरियाणा के एक्स एम०पी० हैं । ये सातों व्यक्ति एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में हैं ।

श्री कल्प नाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान की करोड़ों करोड़ किसानों की तरफ से श्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । 1984 में श्री राजीव गांधी ने बंबई में इस बात की घोषणा की थी कि किसानों के लिए ऐग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन की जगह पर ऐग्रिकल्चरल कांस्ट्स एंड प्राइस कमीशन बनेगा और किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों का पहले कास्टिंग होगा और तब प्राइसिंग होगी । 1985 में श्री बूटा सिंह ने यहां घोषणा की थी कि एक महीने में वह बन जाएगा । श्री ढिल्लों ने घोषणा की थी कि अगले सेशन में बन जाएगा । राव वीरेन्द्र सिंह ने घोषणा की थी कि 6 महीने में बन जाएगा लेकिन 5 वर्ष के बाद भी कई कृषि मंत्रियों की घोषणाओं के बाद वह नही बन सका । इसलिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं । कि जो सवाल मैंने, श्री विकल जी ने और श्री वर्मा जी ने यहां उठाया था कि किसानों के लिए ऐग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन बने, उसे आपने बना दिया । मैं करोड़ों किसानों की तरफ से आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि पहले मंत्रियों ने बनाने की घोषणा की लेकिन बनाया नहीं, लेकिन आपने पहले बनाया फिर घोषणा की । इसलिए सारे देश के किसानों की तरफ से हम भजनलाल जी को धन्यवाद देते है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : भजनलाल जी एक हीं हैं देश में ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : ये जो आश्वासन देते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I only draw the attention of the Minister to the composition of the committee. A committee is there but there is no representation from the peasants' organisations. There are a number of peasants' organisations in the country. He has only picked up some people who are, to his best knowledge, peastnts. I do not believe they really represent peasants and peasants' interests . It would be better if representatives of peasants' organisations were taken on the committee because the problems of agricultural prices is tormenting the entire peasant generation.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Vice-Chancellor of Tamil Nadu Agricultural University has been added as one of the members. I am very thankful to the honourable Minister because there is more of scientific investigation in Tamil Nadu. Therefore, credit is given to Tamil Nadu.

श्री राम चन्द्र विकल : महोदया, भजनलाल जी को मैं भी बधाई दिए बिना नहीं रह सकता इस घोषणा के लिए जो उन्होंने किसानों के लिए की है । लेकिन लगता यह है कि अब किसानों के लिए सोचा जाएगा । इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं क्योंकि इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे । इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री भजन लाल : बहुत बहुत शुक्रिया मानमीय सदस्यों का । लेकिन जो इन्होंने ऐतराज उठाये कि इसमें कोई किसान नही लिया गया, मैं उनको बताना चाहता हुं कि उनमें तीन किसान हैं । बाकी अर्थशास्त्री हैं । वे भी किसानों से ताल्लुक रखते हैं और किसानों के घरों में पैदा होकर आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो कि अर्थशास्त्री हैं, इकनामिमिस्ट हैं, उनको पूरा ज्ञान है कि क्या खर्च आता है, किस तरह से मेहनत से किसान पैदा करता है, किस तरह से रिसर्च करके उसका सारा हिसाब लगाकर भाव तय करते हैं । ऐसे लोगों

को उसमें शामिल किया गया है । चौधरी रणधीर सिह जी आल इंडिया किसान सम्मेलन के प्रेसिडेंट है । वे किसानों से ताल्लुक रखते हैं । बाकी दोनों आदमी पूरे किसान हैं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा: महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस देश में 70 फीसदी अर्सिचित भूमि है . . .

श्री कल्प नाथ राय : उनको धन्यवाद दीजिए ।

श्री वीरेंद्र वर्मा : ज्यादा धन्यवाद देने से दब जायेंगे ।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 70 प्रतिशत इस देश में भूमि अर्सिचित है । क्या कोई मैम्बर्स अर्सिचित भूमि का है—एक । दूसरा मेरा सुझाव था, मान्यवर विचार करेंगे । अब तो आपने जो डिक्लेयर कर दिया, कर दिया । मेरा सुझाव है कि पांच किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिये । एक अर्सिचित किसान का, अर्सिचित खेती जहां होती है 70 प्रतिशत क्षेत्र में और एक जो फुट्स और वैजिटेबल्स पैदा करते हैं, फल और सब्जियां, एक उनका प्रतिनिधि और एक आपके धान और गेहूं, उत्तर भारत और नीचे भारत का यानि ट्रापिकल और सब-ट्रापिकल एरिया का । पांच किसान के प्रतिनिधि होने चाहिए तब किसान की कीमत का सही मूल्यांकन किया जा सकता है ।

श्री कैलाशपति मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, कहाँ कील गढ़ा है, जो जूता पहनता है उसी को पता रहता है । 70 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक सीमान्त और लघु किसान हैं। मैं नहीं समझता नामों को सुनने के बाद उनमें से कौन सा किसान है जो सीमान्त या लघु क्षेत्र से आता हो । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसमें परिवर्तन करके उन किसानों को बीच में जोड़ें ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I would like to seek a clarification. About three years back, the Union Government asked the State Governments to give a panel of names to be included in the Commission. What happened to that panel?, Was it taken into consideration or not? Or, the Union Minister included names as he liked?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, I congratulate the honourable Minister. But I want to tell him only one thing. Sir, it is the general practice or normal practice to add a clause in the notification, whenever a commission or committee is appointed, to the effect that if and when the commission wants to co-opt some members for technical or other reasons it can do so. I think he will assure us in this regard.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI JAGESH DESAI): That they can always invite.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज 4 मई किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा ।

श्री भजन लाल : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्मा जी ने कहा कि 70 प्रतिशत ग्रामीण एरिया के लोग हैं । इसमें उधर एक इस साइड का नार्थ का, एक उत्तर का एक उस कोने का होना चाहिये और एक उस कोने का होना चाहिये । अब उन्होंने शायद गौर से सुना नहीं या देखा नहीं । एक मेघालय से है, एक पंजाब से है । एक वह कोना है, एक यह कोना है। एक कर्नाटक से है, एक साउथ से, आंध्र प्रदेश से है । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी कोशिश की गई है इसमें। आप जानते हैं पहले एक किसान मुश्किल से होता था ? तीन तो किसान हैं ठेठ किसान। हम कितना भी कर लें, पांच कर देंगे तो आप कहेंगे 7 होने चाहिये । आपकी यह बात तो रहेगी । आपने एक बात तो जरूर कहनी है कि आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा आपने तो बताना है । बाकी जो बैठे हुये हैं, उनको आप किसान नहीं समझते क्या ?

श्री वीरेंद्र वर्मा : आपको, आप तो हैं किसान ।

श्री भजन लाल : हम भी तो बैठे हैं आपकी सवा में, हाजिर हैं और बाकी अगर कोई कमीशन के लोग है, आप जानते है कि वे भाव कोई अपनी मरजी से थोड़ा तय करते है। वे भी सभी लोगों से तकरीबन पूछते हैं, सब जगह जाते हैं, एक-एक बात की तह में जाते हैं, पूछते हैं कि क्या खर्चा आता है उसके बाद भाव तय करते है ताकि किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके।

अब मै आपकी सेवा में जो कल मुद्दे आप ने उठाए उनकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बोलते हुये श्री बी० एम० जाधव जी ने बहुत टैक्नीकल और बड़े सांइसदां तरीके से बात कही मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत शानदार सुझाव दिए। कृषि के क्षेत्र में, किसानों को लाभकारी मूल्य देने के बारे में जिन-जिन महानुभावों ने जिक्र किया उनमें श्री वी० एम० जाधव, श्री विश्वासराव रामराव पाटिल, मीर्जा इर्शाद बेग, हनुमनतप्पा जी, दरबारा सिंह जी, वीरेन्द्र वर्मा, रामचन्द्र विकल, एन० ई० बलराम, कल्पनाथ राय, गुलाम रसूल मट्टू, हरि सिंह, सुभाष मोहन्ती तकरीबन सभी ने इस बारे में कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये। आप देखेंगे कि हमने हमेशा किसानों को लाभकारी मूल्य दिए हैं। और लाभकारी मूल्य के अलावा सपोर्ट प्राइस भी। किसान को यह भी आजादी है कि अगर बाजार में भाव उसको ज्यादा मिलते हैं तो वह बाजार में जाकर बेच सकता है। कोई प्रोब्लम नहीं है।

मुझें एक बड़ी हैरानी हुई है कि श्री राम नरेश यादव जो बहुत बड़े प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं मैं भी एक छोटे से प्रदेश का मुख्य मंत्री रहा हूं . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : दोनों जनता पार्टी के राज मैं मुख्य मंत्री रहे हैं।

श्री भजन लाल : मैं आप वाली जनता पार्टी का मुख्य मंत्री नहीं रहा। आप वाली जनता पार्टी नहीं थी। आप वाली तो बगावतवाली जनता पार्टी थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कौन सी थी ?

श्री भजन लाल : मैं बताता हूं। चरण सिंह आपके नेता थे। उनके बारे में अब ज्यादा कहना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वह स्वर्ग में है और हम यहां पर हैं। उनके बारे में ज्यादा कहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि खासकर यादव जी से कि जो आपने कहा मगरमच्छ आंसू बहाने वाली बात है यह ठीक नहीं है। भाव और फालतू होने चाहिए। आपको इसका जवाब श्याम लाल यादव जी ने दे दिया था, बड़ा माकूल जवाब दिया था। आप जानते है कि जब आदमी कुर्सी पर होता है तब कुछ कहता नहीं और जब कुर्सी से उतर जाता है तो बातें करने लगता है। आप तीन साल वहां रहे। मैं पूछना चाहता हूं गन्ना किस के राज में जला ? क्या भाव था उस समय गन्ने का ? लोग कहने लगे थे 'गन्ना चार और पाती छः बोलो चरण सिंह की जय। जो जलाने वाली लकड़ी थी वह 6 रुपए और गन्ने का भाव 4 रुपए था जब आप मुख्य मंत्री थे। किस तरह से गन्ना बाजारों की गलियों में सड़ता था ? बाद में आपने यहां तक कह दिया कि गन्ना बोओ मत। यह मैं अपने लफ्ज नहीं कहना, आप रिकार्ड निकाल कर देख लीजिए यह आपके नेता कहते थे। और बातें कहना शोभा नहीं देता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वह यहां तक कहते थे कि गन्ना क्यों बोते हो। उसका परिणाम यह निकला कि अगले तीन साल लगातार देश को चीनी के मामले में बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। बाहर से मंगानी पड़ी थी आप लोगों की नीतियों की वजह से। भाव तय करते समय किसान के हितों का ध्यान रखा जाता हैं आपके समय में आलू की हालत क्या थी ? यहां तक नौबत आ गयी थी आपको याद होगा कि यू० पी० के किसानों ने क्या किया कि आलू खोदकर ढेर लगा दिया। आप जानते हैं कि खाली बोरी का भाव 5 रुपए था और आलू से भरी बोरी का भाव साढ़े चार रुपए था। यह कहते थे कि आलू भरने

से बोरी पुरानी हो गयी इसलिए आलू से भरी बोरी की कीमत कम थी। वे रात को सोते तक नहीं थे, खेत की रखवाली करते थे कि कोई दूसरा खेत वाला अपने आलू इस खेत में न डाल जाये क्योंकि इससे उनको सस्ते में बेचने पड़ते थे। यह आपके समय में हालत थी। आप किसानों के मसीहा बनते है। देवी लाल की बात कहते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप भी थे तब।

श्री भजन लाल : मेरा उस राज में हिस्सा नहीं था। आपकी पार्टी जनता का चीफ मिनिस्टर नहीं था। देवी लाल को पटक कर बना था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : अब किसको पटक कर बने हो ?

2 P.M.

श्री भजन लाल : आप तसल्ली रखिए, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप भी तो जनता पार्टी में रहे हैं।

श्री भजन लाल : हमतो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहे हैं। वर्मा जी ने जो बातें कहीं हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने किसानों की बात कही। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सन, 1960 में गेहूं की कीमत बाजार में 45 रुपए थी और अब 173 रुपए हैं। उन्होंने कहा रुपए की कीमत 13.3 हो गई है और इस हिसाब से उसकी कीमत 23 रुपए बैठती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं और मैं भी हरियाणा में 6 वर्ष तक वित्त मंत्री रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय क्या उत्पादन होता था और आज क्या होता है ? उस समय, 1960 में, गेहूं का उत्पादन आठ क्विंटल एक हैक्टेयर में होता था और अब 20 क्वींटल होता है। लगभग ढाई गुना उत्पादन बढ़ गया है . . . (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं प्राइसेज की बात कर रहा हूं। आप आंकड़ों के आधार पर बताइए।

श्री भजन लाल : मैं आकड़ों के आधार पर ही बता रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : वर्मा जी, आप तो समझदार आदमी हैं, प्राइस और उत्पादन का ताल्लुक है . . . . . (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : श्रीमन, जनता पार्टी के राज में यही तो हुआ था कि गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो गया तो गन्ना 3 रुपये और 4 रुपए गया। किसान ज्यादा पैदा करे तो उसको कीमत पूरी नहीं मिलती है और कम पैदावार हुई तो उस तरह भी किसान मारा जाता है।

श्री भजन लाल : वर्मा जी ने कहा उस वक्त दो ट्रौली में एक ट्रैक्टर आ जाता था और अब पांच ट्रौली में आता है। ढाई गुना यह बढ़ गया है उस समय की दो ट्रौली की कीमत एक जितनी ही बनती है, और किसान की हालत काफी सुधरी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप आज की हालत बताइये।

श्री भजन लाल : आप भी किसान हैं और मैं भी किसान हूं। अनेक महानुभावों ने भावों की चर्चा की। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को जो भाव दिए गये हैं वे लाभदायक है और आपके सामने हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सरकार ने सन् 1967 में गेहूं का जो भाव मुकर्रर किया था उसके हिसाब से आज क्या भाव मुकर्रर किया है ?

श्री भजन लाल : आप मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। सिंचाई के बारे में विकल जी ने कहा कि खेती को पूरा पानी नहीं मिलता है। विशेष रूप से टेलों पर पानी नहीं मिलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार इसके लिए इंतजाम करे। इसी तरह से श्री

[श्री भजन लाल]

नारायणस्वामी जी ने भी कहा कि किसानों को खती के लिए पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने सिंचाई की तरफ बहुत ध्यान दिया है ताकि खाद्यानों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कृषि और सिंचाई के लिए एलोकेशन को 40 परसेंट तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए छः लाख ट्यूबवैल बनाने की योजना बनाई है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो सीमान्त किसान हैं और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोग हैं या जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं। इन सब के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमारा प्रयत्न है कि एक एक बूंद पानी का सदुपयोग हो। इस संबंध में पंचायत संगठनों जैसी संस्थाओं और लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा दस लाख कुएं भी गरीब लोगों को मुफ्त प्राप्त होंगे। इसके अलावा मैं इस राय का हूं कि सारे मुल्क के पानी का एक नेशनल ग्रिड बनाया जाना चाहिए। गंगा है, यमुना है, काबेरी है, ब्रह्मपुत्र है कितना पानी है और बरसात के समय बाढ़ की शक्ल में कितना नुकसान होता है। ऐसा करने से जहां पानी की जरूरत है वहां पानी ले जाया जा सकता है। इससे जितनी बिजली पैदा हो सकती है वह पैदा की जाय। बिजली का भी एक नेशनल ग्रिड बनना चाहिए और उसके बारे में कुछ कार्यवाहियों पर सोचा जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह आपका व्यू है या गवर्नमेंट का व्यू है?

श्री भजन लाल : यह गवर्नमेंट का व्यू है। आप जानते हैं कि यह ऐसा काम है जिसमें काफी समय लगेगा। लेकिन सरकार की ऐसी भावना है कि हम किस तरह से इसको चालू करें और इस पर सरकार कुछ करना चाहती है ताकि देश में पानी और बिजली की समस्या जो है उसका हल किया जा सके।

श्री दरबारा सिंह जी ने पंजाब के सिलसिले में कहा कि खेतीबाड़ी के लिये ऐसी योजनायें बनाई जाय जिससे खर्च कम हो और अच्छे बीजों की खोजबीन करनी चाहिए। बी०एम० यादव साहब ने भी कहा और श्री नारायण स्वामी ने सुझाव दिया कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये नई टेक्नालाजी अपनाई जानी चाहिए। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और देश के कृषि विश्वविद्यालय पहले से ही कार्यरत हैं। मैं अपने मेधावी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हरित क्रान्ति में अपना भारी योगदान दिया और हमें पूर्ण आशा है कि देश में कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में और जो 17.50 करोड़ टन का लक्ष्य हमने रखा है उसको 1990 तक प्राप्त करने में हम अवश्य सफल होंगे।

खाद और फर्टिलाइजर के बारे में श्री विकल साहब ने कहा। सरकार रासायनिक खाद के ऊपर लगभग 3 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सब्सिडी दे रही है। यूरिया खाद की देश में उत्पादन लागत 3242 रुपया प्रति क्विंटल है जिसको हम 2350 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। इसमें भी हम 7.5 प्रतिशत छूट दे रहे हैं। इसी के साथ श्री मीर्जा इर्शादबेग ने मछली पालन का जिक्र किया। इसके बारे में कैबिनेट सेक्रेटिरियेट में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि मछली पालन के लिये कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत एक पृथक विभाग बना दिया जाय। मछली पालन से संबंधित सभी कार्य जो अभी शिपिंग मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय में भी हैं, उनको इस विभाग के अन्तर्गत शामिल कर दिया जाय। परन्तु अभी तक इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मैं इस संबंध में इतना कहना चाहता हूं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

फसल बीमा के बारे में मैंने तफसील-वार बता दिया है। इस बारे में मीर्जा इर्शादबेग, वीरेन्द्र वर्मा और विकल जी ने प्रश्न किये थे। इन सब प्रश्नों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। रोजगार के बारे में मैंने अभी बात आपके सामने रखी। श्री बलराम जी ने भी कहा और अन्य साथियों ने भी कहा, इसका जवाब दे चुका हूं। वर्मा जी ने कहा, कल्पनाथ राय जी ने भी कहा बीजों के दामों के बारे में। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बीजों का ताल्लुक है, आपने कहा कि बीज किसानों को महंगे मिलते हैं और गेहूं सस्ता होता है, तो उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बीजों का उत्पादन बहुत कम होता है, यील्ड उसकी बहुत कम होती है। गेहूं अगर एक हेक्टेयर में 20 क्विंटल होगा तो बीज बड़ी मुश्किल से 10 या 12 क्विंटल ही होगा क्योंकि उसका पौधा दूर लगाना पड़ता है और पेड़ की झाड़ भी कम होती है। इसलिये उसका भाव महंगा होता है। इसमें सरकार कोई प्राफिट नहीं लेती। इसमें तो नो लास नो प्राफिट बसिस होता है। वर्मा साहब कल कह रहे थे कि जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, डींग मार रहे थे कि उन्होंने 310 रुपये से...(**व्यवधान**)...मैंने 210 रुपये करवा दिया...(**व्यवधान**)...उन्होंने कहा कि 210 रुपये किया था। लेकिन उस समय गेहूं का क्या भाव था? 105 रुपये यह उन्होंने खुद माना है... (**व्यवधान**)...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, आज 173 रुपये गेहूं का भाव है और 450 रुपये है बीज का भाव।

श्री भजन लाल : 425 रुपये है, 450 रुपये नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 425 रुपये पिछले साल था। अब 450 रुपये है... (व्यवधान)...उसमें कैमिकल्स को शामिल करके इतनी प्राइस बढ़ जाती है। अगर आप 425 ही कहते हैं तो मैं मान लेता हूं लेकिन कहां 173 और कहां 425?

श्री भजन लाल : कहां 105 और कहां 210? आप कल कह रहे थे। 105 और 210 आप ही कह रहे थे तो फिर अगर आपकी ही मान लें तो फिर यह डबल हो गया उस रेश्यो से आप हिसाब लगा लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 100 रुपये क्विंटल हमने घटवा दिया था आप भी घटवा दीजिये 100 रुपये।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उनका कहना यह है कि आप इसमें सबसिडी दीजिये।

श्री भजन लाल : मेरा कहना यह है कि इसमें प्रोफिट कमाने का कोई सवाल नहीं है हम नो प्रोफिट नो लास पर बीज देते है। एक शिकायत एक माननीय सदस्य ने बिहार के बारे में की कि बीज के लिए कह दिया और गेहूं दे दिया। इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि...

श्री कलाशपति मिश्र : आपकी सरकारी रिपोर्ट है बिहार को खाद्यान का गेहूं बीज के लिए दिया गया और कीमत भी बीज की ले ली गई।

श्री भजन लाल : एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिये। हमारे पास बीज खत्म हो चुका था और बिहार में बाढ़ आई थी जिसकी वजह से जो पहले बोआई हुई थी वह खराब हो गई। इसलिए उनको बीज की आवश्यकता पड़ गई। उन्होंने भारत सरकार से बीज मांगा। हमने उन से यह साफ कह दिया कि हमारे पास सर्टिफाइड बीज नहीं है सीड खत्म हो चुका है। यह तो आप जानते ही हैं कि बोआई से दो तीन महीने पहले बीज राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है ताकि वह समय पर किसानों को बीज का वितरण कर सकें और किसान भी एक दो महीने पहले से अपने पास बीज ले कर रख लेता है ताकि उसको बोआई के समय दिक्कत न हो। इसलिए हमने कह दिया कि हमारे पास बीज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम बगैर खेती के रह जाएंगे गेहूं हमारे पास है नहीं। तो हमने कहा

[श्री भजन लाल]

कि एफ०सी०आई० से छांट कर के अच्छी गेहूं आप ले सकते हैं उसका जर्मिनेशन हम टेस्ट कर देंगे कि यह पैदा होगा या जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा वह टेस्ट कर के हम ने उनको दे दिया। ऐसा चार हजार क्विंटल गेहूं हमने दिया। तीन हजार क्विंटल बिहार को दिया और एक हजार क्विंटल जे० एंड के० को दिया। बिहार से कुछ शिकायत आई कि बीज का उत्पादन ठीक नहीं हुआ हमने पहले ही कहा था उतना झाड़ नहीं होगा यह सर्टिफाइड बीज नहीं है यह गेहूं है इसलिए झाड़ कम होगा। कुछ एरिया से यह भी शिकायत आई कि जर्मिनेशन कम हुआ। उसके दो कारण थे। हमने बाकायदा एक टीम यहां से भेजी हमारे सीनियर सेक्रेटरी वहां मौके पर गये और उन्होंने इन्क्वायरी की। कुछ जगहों पर सूखी जगह पर बीज डाल दिया गया और कुछ जगहें ऐसी थीं जो गीली थी। आप जानते है कि गीली धरती में से बीज बाहर नहीं निकलता है बाढ़ की वजह से उस गीली जगह में बीज डाल दिया उसकी बजह से जर्मिनेशन कम हो सकता है लेकिन आम एरिया में कोई जर्मिनेशन की शिकायत नहीं रही। हां झाड़ की शिकायत जरूर रही है। **(व्यवधान)**

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय भजन लाल जी किसानों के हामी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की इनकी निरन्तर कोशिश है। जैसे कि वर्मा जी ने कहा मैं खुद भी किसान हूं और मैंने खुद ने गेहूं का फाउंडेशन सीड ले कर उस में बीज को पैदा किया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो फाउंडेशन सीड हम उगाते हैं उसका जेनरेशन होता है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं आप हमेशा किसानों के हामी रहे हैं मैं खुद ने अपने घर में इसकी बोआई की है और हमने सीड का प्रोडक्शन किया है और सीड प्रोडक्शन का एफ–1 और एफ–2 जो जेनरेशन होता है मैं जानता हूं जब इसकी बोआई होती है तो थोड़ा अन्तर रखना पड़ता है और उसमें से कुछ फालत पौधों को भी निकालना पड़ता है और फिर बीज तैयार होता है। लेकिन आप इस मामले को गम्भीरता पूर्वक ले कर उसकी फिर से जांच करवा लें कि इसका जो कास्ट आफ प्रोडक्शन बैठता है उसके सामने जो हमारा एफ–1, एफ–2 का जेनरेशन होता है उसका जो कास्ट आफ प्रोडक्शन बैठता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसलिए इसकी जो कीमत है आप इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे तो शायद इसको आप कम ला सकते हैं। इस तरह से आप किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं कृषि मंत्री जी की जानकारी में यह ला दूं कि जिन किसानों से नेशनल सीड्ज़ कारपोरेशन बीज उगवाता है। उन किसानों को कीमत देते हैं 243 रुपया और खुद जो बेचते हैं वह देते हैं 425 रुपये में।

श्री भजन लाल : इन्होंने भी कहा तो इसको भी देख लेंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप जानते हैं कि बाकायदा उसमें से छांटना पड़ता है, छंटाई करनी पड़ती है, छोटा दाना निकालना पड़ता है। उसमें बाकायदा मोटा दाना रखना पड़ता है और जो बारीक दाना है वह निकालना पड़ता है और वह अगर 40 किलो है तो 34 या 35 किलो मुश्किल से रहेगा एक बार में। फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर देखभाल करेंगे, फिर रखेंगे, फिर उसमें दवाई डालेंगे। आप तो इन सारी बातों को जानते हैं। खर्चा तो पड़ेगा ही इसमें। लेकिन फिर भी हम इसको दिखवा लेंगे जो ठीक बात होगी करेंगे। किसानों से कोई प्राफिट लेकर सरकार बीज नहीं बेचेगी, नो प्राफिट पर बेचेगी... **(व्यवधान)**

दूसरा हमुमन्ता राव जी ने, वीरेन्द्र वर्मा जी ने, गुलाम रसूल मट्टू जी ने और हरी सिंह ने फसल उत्पादन के बारे में जिक्र किया। इसके बारे में

इतना ही कह सकता हूं कि सर्वे के मुताबिक उत्पादन गिरा है। इक्नामिक सर्वे के मुताबिक 1965 में अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जैसा कि मैंने बतायी, 480 ग्राम थी जो 1987 में 465.5 ग्राम रह गयी। कपास, गन्ना, तम्बाकू, काजू के निर्यात की नीति किसान के विरुद्ध जाती है और उनसे मोनोपोलिस्ट उद्योगपतियों को फायदा होता है। सूखे का प्रभाव केवल किसानों पर ही पड़ता है, बड़े उद्योग-पतियों पर नहीं इन्होंने यह कहा। दरबारा सिंह ने कहा कि पानी का सही इस्तेमाल न होने के कारण वह समुद्र में चला जाता है। डैम्स में सिल्ट आ जाती है। डीसिल्टिंग निहायत जरूरी है। सरदार साहब हैं नहीं। पंजाब वालों ने हमारी जान आफत मे कर रखी है। वे पानी देते नहीं हैं और वह पाकिस्तान में चला जाता है। उनको हमारी मदद करनी चाहिए ताकि वह पानी हरियाणा में आ सके। इसके अलावा बीज आदि के बारे में मैंने ये सारी बातें कहीं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि देश में महिलाओं को और नौजवानों को काम मिले। प्रधान मंत्री जी ने बेकारी हटाने की एक आदर्श बात कही है। प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस देश में गरीबी को दूर करने की बात कही थी। आपोजीशन के महानुभाव जब बोलते हैं तो कुछ बातें कह देते हैं कि गरीबी किसकी दूर हुई। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ गरीबी दूर हुई है। लेकिन अब प्रधान मंत्री जी ने भी एक आदर्श बात की है कि देश के सामने जो बेकारी की समस्या है उसको दूर करना है। एग्रीकल्चर महकमा इसमें पूरा प्रयत्न करेगा और हम ज्यादा से ज्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मुल्क में लगाने की कोशिश करेंगे ताकि देश के नौजवानों को काम दिया जा सके। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही है उस बात को अमलीजामा पहनाने में हमारा कृषि मंत्रालय सबसे आगे रहेगा और उसके बारे में चेष्टा करेगा। मट्टू साहब ने कहा कि आप कुछ ऐसी योजना बनाइये जिनमें कुछ एरियाज सिलेक्ट कीजिए। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने बाकायदा एरियाज सिलेक्ट किये हैं, विशेषतौर पर विशेष योजनाएं शुरू की हैं और मैं आपको लिखकर भेज दूंगा या आप मेरे पास आने का कष्ट करें ताकि इसको हम डिटेल से बतायें कि हमने क्या कुछ करने की बात की है।

अभी हमने जो भावों का अनाउंसमेंट किया इसके बारे में इन्होंने चर्चा की... (व्यवधान) उनका मैं क्लेरीफिकेशन करना चाहता हूं। कपास के भावों में ज्यादा नहीं बढ़ाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लम्बे रेशे की कपास का भाव पिछले साल साढ़े पांच सौ रुपये क्विंटल था और इस बार छः सौ रुपये क्विंटल किया है यानी 50 रुपये क्विंटल फालतू और दरमियानी रेशे की कपास 440 में थी उसको 500 किया है अर्थात् 60 रुपये क्विंटल कीमत बढ़ायी है। आंध्र प्रदेश के हमारे सदस्य श्री शिवाजी राव जी ने कहा कि कुछ लोगों ने आंध्र प्रदेश में कपास की बजह से खुदकशी कर ली, वे मर गये। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैंने अपने सवाल के जवाब के बारे में बताया था कि खुदकशी के कुछ और कारण थे, कोई अकेला भाव का नहीं था। फसल कम होने की बजह से, अचानक बीमारी की बजह से फसल नहीं हुई तथा उन्होंने बैंक में अपने जेवर गिरवी कर रखे थे। साउथ में कुछ ऐसी प्रथा होती है कि जेवर गहने रखते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइ-जेशन क्यों किया, वह इसलिए किया था कि आम आदमी को, गरीब आदमी को उससे पूरा लाभ मिल सके। उनको चाहिए कि बजाये अपने जेवर, गहने या आभूषणों के रखने के क्राप लोन के जरिये लोन लेते और लेना चाहिए। अपने गहने गिरवी नहीं रखने चाहिए। जब फसल नहीं हुई और गहने छूटे नहीं, चाहे किसी का पैंडल था या दूसरा गहना था, चाहे किसी लड़की का गहना रख दिया लड़की को ससुराल में भेजना था गहना बैंक में पड़ा है और छुड़ा सका नहीं तो शर्म के मारे खुदकशी कर

[श्री भजन लाल]

गया। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई गया नहीं, प्रधान मंत्री ने घोषणा की बाकायदा आन्ध्र प्रदेश में और उन लोगों की सहायता के लिए प्रधान मन्त्री कोश से पैसा भेजा गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और बीमे के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, वर्मा जी ने एक बात कही किसानों को कीमत मिलेगी एक ही जुबान में दो भाषा बोलते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि कीमत कम है दूसरी तरफ कह दिया कि क्या कीमत मिलेगी किस भाव में सरकार खरीदेगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार किसानों को बचाने के लिए किसान का भाव इससे नीचे नहीं गिरे इसी बात को लेकर सपोर्ट प्राइस तय करती है और हम किसी कीमत पर भाव नीचे नहीं जाने देंगे, यदि नीचे जायेंगे तो जो घोषणा हमने की है उसके मुताबिक सरकार सारी जिस पर्चेज करके प्रोक्योर करेगी। देसाई जी ने कहा कीमतों के बारे में और गुरुदास दास गुप्ता जी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने की बात कही। एफ० सी० आई० के बारे में जिक्र किया कुछ कपास का भी जिक्र किया। अच्छा काम करें तो भी मगरमच्छ के आंसू बहाने की बात करेंगे बुरा करने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन इनको कुछ तो कहना ही है। आडवाणी साहब ने कोई घोषणा की बात की और फिर इन्होंने दूध की कमी के बारे में कह दिया, पानी के बारे में कह दिया कि पानी की कमी है, हरियाणा ने रोक दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा में पानी किसने रोका है? हरियाणा की सरकार कौन चला रहा है? किसकी सपोर्ट से चला रहे हैं? बी०जे पी० की सपोर्ट से चला रहे हैं और यहां पर मगर-मच्छ के आंसू बहाने की बात कर रहे हैं। पानी रोकता कौन है? हरियाणा वाले। और रुकवाता कौन है? बी० जे०पी० वाले, ताकि दिल्ली में शोर मच जाए कि पानी नहीं आ रहा है।

श्री कल्प नाथ राय : चोर मचाए शोर।... **(व्यवधान)**

श्री भजन लाल : असल बात यह है और अगर आज वह कहें कि हम अपनी सपोर्ट विदड्रा करते हैं तुम पानी क्यों रोकते हो तो देवी लाल की क्या मजाल है कि वह पानी रोक लें। बी० जे०पी० की सपोर्ट से यह चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम हर तरह से किसान की पूरी हिफाजत करते हैं और भारत सरकार की हमेशा नीति रही है, हमारे युवा प्रधान मंत्री जी की कि इस देश के किसानों के हम पूरे हितैषी हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को जो दे सकते हैं वह देने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही गरीब आदमी, आम आदमी, छोटे कर्मचारियों और अधिकारियों का भी उनको ध्यान रखना है। अगर बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जायेगी तो जिन लोगों ने मोल लेकर खाना है उनका क्या बनेगा। और बहुत ज्यादा कीमत किसान का इतना भी नही है किसान बेचता है सात चीजें और उसको लेनी पड़ती हैं एक सौ तेरह चीजें उसका सारा परिवार उन चीजों को मोल लेकर खरीदता है। वह कपड़ा पहनता है जूता पहनता है साफा लेता है औजार खरीदता है पता नहीं कितने सामान लेता है ब्याह मे शादी में और सारा प्रभाव उस पर ही पड़ेगा। इसलिए सन्तुलन रखना निहायत जरूरी है ताकि गरीब आदमी को भी ठीक भाव में जिन्स मिल सके और किसान को भी पूरा लाभकारी मूल्य मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी आभारी हूं और इस सदन का भी बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Ram Naresh Yadav. I had told him that after the hon. Minister's reply, I would permit him to seek clarifications.

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर मेरे मित्र कल्पनाथ राय जी बैठे हुए हैं, अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने मैं ऐसा समझता हूं कि उनके इशारे पर या जानकारी में भी कुछ इस तरह की बातें कहीं जो वास्तविकता से बिल्कुल

परे है क्योंकि यह सरकार न तो किसानों के हित की रक्षा कर पाती है... (**व्यवधान**)

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): आप बात कहिए भाषण नहीं।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, मैं वही कहने जा रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You wanted to say something regarding sugarcane. Only that point I will allow you.

श्री राम नरेश यादव : घबड़ाइए नही, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं शूगरकेन के बारे में कह रहा हूं मान्यवर, इसीलिए सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। मैं इस संदर्भ में निवेदन कर रहा हूं, आपके माध्यम से कि मैं तो ऐसा समझता था कि माननीय कृषि मंत्री जी बधाई देंगे उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार को, जिसका मैं मुखिया था, कि सचमुच में किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए हमने कुछ किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो खाद और यूरिया के दाम घटे थे... (**व्यवधान**) उसका असर था, मान्यवर, गन्ने की फसल पर... (**व्यवधान**)... उसका उत्पादन बढ़ा।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : सवाल वह नहीं है। अगर गन्ने के दाम के बारे में उसमें कोई गलती है तो आप बता सकते हैं, बाकी आपको एलाऊ नहीं करूंगा।

श्री राम नरेश यादव : उससे ही संबंधित है। इसलिए, मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि किसानों को जो हमने सुविधाएं दी थीं, उसके आधार पर गन्ना-किसानों ने गन्ने का उत्पादन किया था और उस समय गन्ना-किसानों को 11 रुपए क्विंटल दिया गया। ... (**व्यवधान**) ...

श्री कल्पनाथ राय : एकदम यह गलत बात है... (**व्यवधान**)...

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। उस समय गन्ना-किसानों को 11/- रुपए क्विंटल दिया गया था।... (**व्यवधान**).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): After he has completed, I will allow the Minister to reply.

श्री राम नरेश यादव : गन्ना-किसानों को उस समय 11/- रुपए क्विंटल दिया गया था, मान्यवर, इतना ही नहीं, उस गन्ने का संबंध चीनी से है और जहां गन्ने का दाम किसानों को मिला था, वहीं चीनी का दाम 1 रुपए 95 पैसे थे। इसलिए दोनों का उससे संबंध है। कहीं पर गन्ना किसानों का खत में जलाया नहीं गया था बल्कि मान्यवर, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि अगस्त में भी फैक्टरियों को हमने प्रदेश में चलाकर के किसानों के गन्ने की पैराई का काम किया था और किसान को गन्ने का पैसा देने का भी काम किया था। शायद यह मिसाल नहीं मिल सकती फैक्टरियों को चला कर के किसानों का गन्ना पैराने का काम किया था... (**व्यवधान**)...

श्री भजन लाल : इनका यह कहना... (**व्यवधान**)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I want to seek one clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): At that time I had told him that I will allow you. Now I am not allowing anybody else.

श्री भजन लाल : उपसभाध्यक्ष महोदय मैं कोई बात भूल नहीं रहा हूं, मैं राम नरेश यादव जी की बड़ी इज्जत करता हूं और ये पुराने मेम्बर हैं, मुख्यमंत्री रहे है, इनको याद होना चाहिए। आप हाउस में यह बात कहे कि हम गुमराह कर रहे हैं, तो हम कतई गुमराह नहीं

[श्री भजन लाल]

कर रहे हैं, गुमराह करने की बात आप करते करते है। मैं आपको हकीकत बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान इकट्ठा होकर के चौधरी चरण सिंह जी के पास गए कि साहब बहुत बुरा हमारा हाल हो गया है गन्ने का कोई ग्राहक नहीं है, क्या किया जाये।

श्री राम नरेश यादव : यह नितांत असत्य है।

श्री भजन लाल : सुनने की कृपा करें, आप। मैं जो बात कहूंगा, सही कहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको इस बात के लिए। मैं गलत बात करने का आदी नहीं हूं।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, इस तरह का कोई भी किसान हमारे पास नहीं आया।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मैंने आपको मौका दिया है पहले।

श्री भजन लाल : तो उन्होंने कहा कि साहब, बुरा हाल है। चौधरी साहब ने कहा—गन्ना नहीं बोना था। कि साहब, क्या करें अब? कि और कुछ चीज बोते, गन्ना नहीं बोते। बोले कि अब तो बो दिया। तो जवाब था—बाकी कोई जगह नहीं मिलती हो तो मेरे सिर पर बो दो। यह चौधरी चरण सिंह जी के लफ्ज थे। यह हकीकत है और एक नहीं, सारे पेपर में यह छपा है। तो इतना बड़ा बुरा हाल किसान का हुआ, उसका कोई अन्त नहीं है। आप किस मुंह से कहते हैं। फिर यह कहते हैं, वर्मा जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, चौधरी चरण सिंह जी हमेशा ट्रेक्टर से खेती के खिलाफ रहे कि ट्रेक्टर से खेती नहीं होनी चाहिए। यह किस स्थिति में रहे हैं इनकी पार्टी के लोग। अगर ट्रेक्टर से खेती नहीं होती तो क्या इतना उत्पादन बढ़ सकता था? क्या बैल और ऊंट इतनी खेती कर सकते थे? रूढ़िवादी तरीके की बातें थीं इनकी। लोगों को उस समय गन्ना जलाना पड़ा। यह हकीकत है। मिल में लेकर जाय तो 3 रुपए क्विंटल का भाड़ा लग जाय, एक-डेढ़ रुपया क्विंटल और खर्चा लग कटाई-पिराई का, तो सवारिया पांच रुपए और मांगे साढ़े चार रुपए, तीन रुपए। इसलिए जलाना पड़ा किसान को।

THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1988

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, I move:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1988-89, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Bill provides for withdrawal out of the Consolidated Fund of India of the amounts required to meet the expenditure for the year 1988-89 charged on the Fund as well as the Grants voted by the Lok Sabha.

Gross disbursements of Rs. 225,658.55 crores are provided in the Bill. After setting off recoveries, receipts taken in reduction of expenditure and transaction in the nature of accounting adjustments, the net provisions aggregate to Rs. 73,560.00 crores. Of this an amount of Rs. 25,714 crores is for Central, State and Union Territories' Plans. The provision for Defence expenditure is Rs. 13,000 crores, for interest payments Rs. 14,100 crores and major subsidies Rs. 6,391 crores. Other non-Plan grants and loans to State and Union Territory Governments account for Rs. 2,210 crores and the balance Rs. 12,145 crores is for other expenditure including expenditure of Union Territories without Legislature and Grants and Loans to foreign Governments.